

MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES

A Unit of Maharaja Agrasen Technical Education Society
Affiliated by GGS IP University, Recognized u/s 2(f) of UGC
Approved by Bar Council of India; ISO 9001: 2015 Certified Institution
Courses Offered: BBA, B. Com(H), B.A (H) Eco, BA (JMC), BA LLB, BBA LLB
Campus: Maharaja Agrasen Chowk, Sector-22, Rohini, Delhi-110086 INDIA www.maims.ac.in



DEPARTMENT OF LAW

IN ASSOCIATION WITH MAHARAJA AGRASEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Organises

AMRIT MAHOTSAV HINDI DIWAS

13th September RULE BOOK- KAVYA PATH

- प्रतियोगिता की तिथि और स्थान: 'हिंदी दिवस- वाद-विवाद प्रतियोगिता' 13 सितंबर
 2021 को ZOOM MEETINGS पर आयोजित की जाएगी।
- उद्घाटन, काव्य पाठ प्रतियोगिता और समापन के लिए ड्रेस कोड औपचारिक या भारतीय पारंपरिक होगा।
- गैर-पंजीकरण (Non Registration) के परिणामस्वरूप प्रतिभागी को अयोग्यता करार दिया जाएगा।
- सभी प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतियोगिता के दौरान उनके पास अच्छी ऑडियो और वीडियो स्विधाओं के साथ एक सहज इंटरनेट कनेक्शन हो।
- प्रतिभागियों को पूरी प्रतियोगिता के दौरान अपने कैमरे चालू रखने होंगे।
- एक प्रतिभागी के बोलने के दौरान अन्य लोग अपने माइक्रोफोन को MUTE पर रखेंगे।
- प्रतिभागी की कविता का रस श्रृंगार रस या वीर रस ही होना चाहिए।
- प्रतियोगिता शुरू होने से पहले प्रत्येक प्रतिभागी को एक अद्वितीय कोड (Unique code) आवंटित किया जाएगा। एक बार कोड आवंटित हो जाने के बाद, प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतियोगिता के दौरान आयोजकों के साथ आगे संचार के लिए केवल अद्वितीय कोड (Unique code) का उपयोग करना होंगे।
- प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होंगे कि वे प्रतियोगिता के किसी भी चरण में अपनी पहचान का ख्लासा न करें।
- प्रतिभागियों को उनके नाम को आवंटित कोड में बदलने के लिए प्रतियोगिता से 10
 मिनट पहले Zoom Link में प्रवेश करने की अन्मित है।
- प्रतिभागी को उनकी कविता पढ़ने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा।

- प्रतियोगिता शुरू होने से पहले स्लॉट दिया जाएगा।प्रतियोगिता को आपने आवंटित स्लॉट के दौरान ही बोलने का मौका दिया जाएगा।
- प्रतियोगिता का परिणाम कुल स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रतिभागी प्रतियोगिता जीतेगा।
- प्रत्येक टीम को आवंटित अंकों के संबंध में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।